



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

15 कार्तिक 1941 (श०)

(सं० पटना 1219) पटना, बुधवार, 6 नवम्बर 2019

गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)

अधिसूचनाएं
5 नवम्बर 2019

सं० 8 / विविध-10-74 / 2017-गृ०आ०-9188—भारत संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक सह पठित बिहार पुलिस अधिनियम, 2007 की धारा-55 एवं धारा-94 के अधीन प्रदत्त शवितयों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल, बिहार पुलिस चालक संवर्ग नियमावली, 2017 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :—

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ :—

- (1) यह नियमावली 'बिहार पुलिस चालक संवर्ग (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2019' कही जा सकेगी।
- (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
- (3) यह तुरंत के प्रभाव से प्रवृत्त होगा।

2. बिहार पुलिस चालक संवर्ग नियमावली, 2017 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 6(1) (ख) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा —

"(ख) ऊँचाई एवं सीना— उम्मीदवारों के लिए निम्नलिखित न्यूनतम ऊँचाई एवं सीना की माप होना आवश्यक होगा :—

कोटि	ऊँचाई	सीना	
		न्यूनतम	न्यूनतम बिना फुलाए
अनारक्षित, पिछड़ा वर्ग के पुरुष उम्मीदवारों के लिए	165 से.मी.	81 से.मी.	86 से.मी.
अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के पुरुष उम्मीदवारों के लिए	160 से.मी.	81 से.मी.	86 से.मी.
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के पुरुष उम्मीदवारों के लिए	160 से.मी.	79 से.मी.	84 से.मी.

भारतीय मूल के गोरखा (सिर्फ बिहार सैन्य पुलिस— 01 गोरखा बटालियन में) के लिए	160 से.मी.	79 से.मी.	84 से.मी.
सभी वर्गों की महिला उम्मीदवारों के लिए	155 से.मी.	लागू नहीं	लागू नहीं
फुलाने के बाद सीना की मापी में कम से कम 5 से.मी. का अन्तर होना अनिवार्य होगा।			

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
रंजन कुमार सिन्हा,
सरकार के अपर सचिव।

5 नवम्बर 2019

सं0 8 /विविध—10—74 /2017 गृ0आ0—9189—एतद द्वारा गृह विभाग (आरक्षी शाखा) की अधिसूचना सं0 9188 दिनांक 5 नवम्बर, 2019 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारत—संविधान के अनुच्छेद—348 के खण्ड—(3) के अन्तर्गत अंग्रेजी भाषा में उक्त अधिसूचना का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
रंजन कुमार सिन्हा,
सरकार के अपर सचिव।

The 5th November 2019

No. 8/misc-10-74/2017-H.P.-9188--In exercise of powers conferred under the proviso to Article 309 of the Constitution of India read with section 55 and section 94 of Bihar Police Act, 2007 the Governor of Bihar is hereby pleased to make the following Rules to amend the Bihar Police Driver Cadre Rules, 2017 (as amended from time to time):-

1. Short title, extent and commencement.— (1) These Rules may be called the "Bihar Police Driver (second amendment) Rules, 2019.
(2) It extend to the whole State of Bihar.
(3) It shall come into force at once.
2. Rule, 6 (1)(b) of Bihar Police Driver Cadre Rules, 2017 (as amended from time to time) shall be substituted by the following:-

"(b) Height and Chest- It will compulsory for the candidates to have the following minimum height and chest measurements:-

Category	Height	Chest	
	Minimum	Minimum Without expansion	Minimum With expansion
For male candidates of unreserved and Backward class.	165 cm	81 cm	86 cm
For male candidates of Extremely Backward class.	160 cm	81 cm	86 cm
For male candidates of Scheduled Castes and Scheduled Tribes.	160 cm	79 cm	84 cm
For Gorkha of Indian race (only in BMP-I Gorkha battalion).	160 cm	79 cm	84 cm
For women candidates of all class.	155 cm	Not Applicable	Not Applicable
Minimum difference in the measurement after expansion of Chest must be 5 cm.			

By order of the Governor of Bihar,
Ranjan Kumar Sinha,
Additional Secretary to Govt.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1219-571+250-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>